

पौध संरक्षण हेतु कृषकों को देय सुविधाएं

क्र.स	योजना का नाम	अनुदान पद्धति	देय अनुदान (रूपये में)
1	एनएफएसएम (तिलहन/दलहन/गेहूँ / न्यूट्री सीरियल्स/वाणिज्य फसल/मोटा अनाज) एवं राज्य योजना	पौध संरक्षण रसायन/खरपतवारनाशी/बायो ऐजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड पर कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रूपये प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो अनुदान सहायता देय है।	
2	एनएफएसएम ऑयल सीड योजनान्तर्गत आई.पी.एम. आधारित एफ.एफ.एस प्रशिक्षण	30 व्यक्तियों के प्रशिक्षण हेतु	26700 रूपये
योजनावार पौध संरक्षण उपकरणों पर देय अनुदान			
योजना का नाम	श्रेणीवार यंत्र/उपकरण का नाम	प्रति उपकरण/प्रति लाभार्थी देय अनुदान	
		एस.सी. / एस.टी. / लघु सीमान्त एवं महिला कृषकों के लिए कीमत का	अन्य कृषकों के लिए कीमत का
एनएफएसएम (आयल सीड)	(i) हस्तचलित पौ.सं. उपकरण (नेपसेक स्प्रेयर/फुट स्प्रेयर)	50 प्रतिशत या अधिकतम 750 रूपये प्रति उपकरण जो भी कम हो	40 प्रतिशत या अधिकतम 600 रूपये प्रति उपकरण जो भी कम हो
	(ii) पावर चलित पौ.सं. उपकरण (पावर स्प्रेयर सोलर/बैटरी चालित)		
	16 लीटर क्षमता से कम वाले	50 प्रतिशत या अधिकतम 3800 रूपये प्रति उपकरण जो भी कम हो	40 प्रतिशत या अधिकतम 3000 रूपये प्रति उपकरण जो भी कम हो
	16 लीटर क्षमता से अधिक क्षमता वाले	50 प्रतिशत या अधिकतम 5000 रूपये प्रति उपकरण जो भी कम हो	40 प्रतिशत या अधिकतम 4000 रूपये प्रति उपकरण जो भी कम हो
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन/गेहूँ/न्यूट्रिसिरियल)	हस्तचलित पौ.सं. उपकरण (नेपसेक स्प्रेयर/फुट स्प्रेयर)	50 प्रतिशत या अधिकतम 750 रूपये प्रति उपकरण जो भी कम हो	40 प्रतिशत या अधिकतम 600 रूपये प्रति उपकरण जो भी कम हो
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन/गेहूँ)	पावर चलित पौ.सं. उपकरण (सोलर/बैटरी चालित पावर स्प्रेयर)		
	8 से 12 लीटर क्षमता वाले	50 प्रतिशत या अधिकतम 3100 रूपये प्रति उपकरण जो भी कम हो	40 प्रतिशत या अधिकतम 2500 रूपये प्रति उपकरण जो भी कम हो
	12 से 16 लीटर क्षमता वाले	50 प्रतिशत या अधिकतम 3800 रूपये प्रति उपकरण जो भी कम हो	40 प्रतिशत या अधिकतम 3000 रूपये प्रति उपकरण जो भी कम हो
	16 लीटर से अधिक क्षमता वाले	50 प्रतिशत या अधिकतम 10000 रूपये प्रति उपकरण जो भी कम हो	40 प्रतिशत या अधिकतम 8000 रूपये प्रति उपकरण जो भी कम हो
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)	ट्रेक्टर माउण्टेड/ऑपरेटेड स्प्रेयर्स	50 प्रतिशत या अधिकतम 37000 रूपये प्रति उपकरण जो भी कम हो	40 प्रतिशत या अधिकतम 28000 रूपये प्रति उपकरण जो भी कम हो

आवेदन प्रक्रिया:-

- पौध संरक्षण उपकरणों हेतु कृषक नजदीकी कृषि कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकेगा।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड एवं जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो), बैंक खाते से सम्बन्धित विवरण एवं किसान की स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो।

अधिक जानकारी के लिए निकटतम कृषि कार्यालय में सम्पर्क करें अथवा किसान कॉल सेन्टर के निःशुल्क दूरभाष नं. 18001801551 पर बात करें।



कृषि सूचना, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर

www.agriculture.rajasthan.gov.in

कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कृषक हित में प्रकाशित